रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 134] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 27, 1984/वैसाख 7, 1906
No. 134] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 27, 1984/VAISAKHA 7, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

ऊर्जा मंत्रालय

(पेट्रोलियम विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 1984

सा का नि 309(अ) —आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रयोग पर निर्बन्धन) आदेश 1974 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश देती है, अर्थात् —

1 (1) इस आदेश को द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रयोग पर निर्बन्धन) संशोधन आदेश 1984 कहा जाएगा ।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशित होने की तिथि से प्रवृत्त होगा ।

2. द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रयोग पर निर्बन्धन) आदेश 1974 में पैराग्राफ 3 में निम्नलिखत उपबन्ध जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

"बशर्ते इस आदेश में ऐसा कुछ नहीं होगा जो द्रवित पेट्रोलियम गैस को मोटर-गड़ियों पर अनुसंधान के प्रयोजनों के लिए प्रयोग पर रोक लगायेगा ।"

[फा.सं. पी-17011/3/81-एम के टी]

के. पद्मनाभंया, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENERGY

(Department of Petroleum)

ORDER

New Delhi, the 24th April, 1984

GSR 309(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order to amend the Liquefied Petroleum Gas (Restriction on Use) Order, 1974, namely :—

1(1) This Order may be called the Liquefied Petroleum Gas (Restriction on Use) Amendment Order, 1984.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In Liquefied Petroleum Gas (Restriction on Use) Order, 1974, in paragraph 3, the following proviso shall be inserted namely :

"Provided that nothing in this Order will preclude use of Liquefied Peroleum Gas for research purposes on automobiles".

[File No. P-17011|3|81-MKT]

K. Padmanabhaiah, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984